

No. 21/7/2023-CS.I(Coord.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
(CS.I Division)
2nd Floor, 'A' Wing, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi
Dated the 27th January, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Vacancy Circular (VC) for filling up the post of Consultant in the Department of Health & Family Welfare on contract basis- Regarding.

The undersigned is directed to circulate herewith Vacancy Circular No. Z.28015/01/2023-Estt.I dated 10.01.2023, received from the M/o Health & Family Welfare, D/o Health & Family Welfare, for information to all eligible retired CSS officers. The details of the same are given below:

S. No	Ministry/ Office	Department/	Name of the Post	Application deadline
(i)	M/o Health & Family Welfare, D/o Health & Family Welfare		Consultant	10.02.2023

2. In case of any further clarification, applicants are requested to contact the concerned Ministry/ Department/ Office directly.

Sunil
27/01/2023
(Sunil Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India

To (**through DoPT's website**): (For Retired CSS Officers)

I/3565385/2023

No.Z.28015/01/2023-Estt.II
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
(Establishment-II)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 10-01-2023

CIRCULAR

Subject: Engagement of Consultant in the Department of Health and Family Welfare on contract basis.

Ministry of Health and Family Welfare invite applications from retired government servants for engagement as Consultant on contract basis. The consultant will be posted in the Department. Detailed terms and conditions of engagement of consultant are annexed. The eligibility criteria and other details are as follow:

1.	No. of consultants to be engaged on contract basis:	1
2.	Age limit	Maximum of 63 years as on date of Circular
3.	Place of assignment	Department of Health & Family Welfare
4.	Tenure of contract	One Year
5.	Eligibility	As per Annexure
6.	Assignment	

2. Interested persons who are in a position to join immediately on call may submit their particulars in the enclosed format along with a copy of PPO, addressed to the "Under Secretary (Admn.), Room No.-330 'C-wing', Nirman Bhawan, New Delhi" within one month of issue of this Circular.

Signed by K Venkatesan

(K Venkatesan)
Date: 10-01-2023 11:01:33

Under Secretary to Government of India

Telefax: 23061323

K.venkatesan31@wc.in

1. NIC, MoHFW for publishing the circular in M/o of Health & FW's website.
2. Under Secretary (CS.I), Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi – for publishing the circular in DoPT's website.
3. E-office notice board.
4. Notice board

Gu
13/1

So (i) mil row

(Cash -II Section)

Sl. No.	Assignments:	Eligibility
1	<p>To assist in following matter of Cash-II Section :</p> <p>Assisting in matters related to salaries to contractual staffs, non-Govt. Staff, etc</p> <p>Payments related to service providers, contractors and agencies</p> <p>Release of Grant-in-aid to all Central Gov. Hospitals, Institutes and autonomous bodies under this Ministry</p> <p>Assisting in other works being dealt in Cash-II Section</p>	<p>1 Position</p> <p>Retired ASO or equivalent</p>

Terms and Conditions for engagement of Consultant in the Ministry of Health & Family Welfare.

1. The Consultant shall perform the services as assigned by the controlling officer.
2. The normal working hours would be from 9.00 am to 5.30 p.m. with lunch break of 30 minutes from 1.00 p.m. to 1.30 p.m. from Monday to Friday.
3. The consultant shall be entitled to leave at the rate of 1.5 days of leave for every completed month of service, to be availed with prior permission.
4. In special circumstances, the consultant could be called for services on holidays or beyond normal working hours.
5. The contractual appointment is for a maximum period of one year, extendable as per requirement, in Ministry of Health & Family Welfare.
6. The consultant shall be paid a consolidated remuneration as per the formula of last pay drawn minus pension subject to TDS etc. The remuneration for the services rendered in a month shall be payable in subsequent month. No other allowances shall be permissible to him except TA/DA on official tours. TA/DA entitlement shall be the same as what was entitled to him at the time of retirement from the service.
7. Ministry of Health & Family Welfare shall have the right to examine / review the services provided by him.
8. He shall perform his obligations with all necessary skills, diligence, efficiency and economy.
9. No medical facility shall be provided to him by the Ministry of Health and Family Welfare. The remuneration is deemed to include an element to cover the cost of medical cover, if any.
10. The Ministry shall not be responsible for any loss, accident, damages / injury suffered by him, whatsoever arising in or out of the execution of his work, including travel.
11. During the terms of service, he shall not engage in any private business or professional activity which could conflict with the interest of the Government.
12. He shall treat all official information as confidential and use the same only for the purpose of the performance of the services.
13. The service can be terminated by either side by giving one month's notice.

APPLICATION FORMAT FOR APPOINTMENT AS CONSULTANT IN CASH- II
SECTION THE MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

Name

Father's Name

Date of Birth

Aadhar Number

Date of Retirement

Department retired from

Designation last held

Last pay drawn (Basic)

Pay Level / Grade Pay

Basic Pension

Telephone No.

Mobile No.

E-mail ID

Mailing Address

Permanent Address

Educational Qualification

Work Experience (Add separate sheet is required)

Organization/Institute	Period		Nature of work	Remarks
	From	To		

I certify that the information provided in this application is true and correct as on the date submission of this application. I understand that withholding of information or giving false information will result in a refusal to hire / termination of employment / civil penalty.

Place

Date

(Signature)

विन संख्या Z 28015-01-2023-Est. III

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

स्थानानुसार

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 11-01-2023परिपत्र

विषय: संविदा आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में परामर्शदाता की नियुक्ति।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में संविदा आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति हेतु सेवाविप्लव सरकार कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। परामर्शदाता की हैनाता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में होगी। परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित विस्तृत विवरण य शर्तें संलग्न हैं। योग्यता-मानदंड व अन्य विवरण निम्न प्रकार से है:

1.	संविदा आधार पर नियुक्त किए जाने वाले परामर्शदाता की संख्या	1
2.	आवु सीमा	आवेदन की तारीख का अधिष्ठान 63 वर्ष
3.	कार्यस्थल	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4.	संविदा की अवधि	एक वर्ष
5.	पात्रता	अनुबंध के अनुसार
6.	कार्यभार	

2. इच्छुक व्यक्तियों को तत्काल रूप से पद की सम्भलन की स्थिति में है व इस कम्प्लेक्स के जारी होने के एक महीने के अंदर संबंधित दस्तावेजों (PPO) के साथ संलग्न प्रारूप में अपना विवरण "अवर सचिव (प्रशासन), कक्षा नंबर-330 (सिविल), निर्माण भवन" को संबोधित करण दुर में जमा करा दें।

3. किसी अनुबंध में किसी भी विस्तार की स्थिति में अंतिम संस्करण का पालन किया जाएगा।

Signed by K Venkatesan

Date: 11-01-2023 17:46:18

(क थकेशन)

अवर सचिव, भारत सरकार

दस्तावेज: 23061323

1. विभाग की वेबसाइट में परिपत्र के प्रकाशन हेतु एन.आई.सी.का प्रतिलिपि

2. ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड ई-ऑफिस

3. नोटिस बोर्ड

4. अवर सचिव (सीएस.।), लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली - डीओपीटी की वेबसाइट पर परिपत्र प्रकाशित करने के लिए

क्र.स	कार्यः	पात्रता
1	रोकड़-II अनुभाग के निम्नलिखित मामले में सहायता के लिए संविदा कर्मचारियों, गैर-सरकारी कर्मचारियों को वेतन से संबंधित मामलों में सहायता करना आदि सेवा प्रदाताओं, ठेकेदारों और एजेंसियों से संबंधित भुगतान इस मंत्रालय के अधीन केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों, संस्थानों और स्वायत्त निकायों को सहायता अनुदान जारी करना रोकड़-II अनुभाग में नियंताए जा रहे अन्य कार्यों में सहायता करना	1 पद सेवानिवृत्त एसओ या समकक्ष

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु नियम व शर्तें:-

1	परामर्शदाता को नियंत्रण अधिकारी द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यों को करना होगा।
2	सामान्य कार्यालयी घंटे सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक होंगे जिसमें अपराह्न 1.00 बजे से 1.30 बजे तक 30 मिनट का लंच ब्रेक होगा।
3	परामर्शदाता एक वर्ष की नियुक्ति अवधि के दौरान सेवा के हर पूरे महीने के लिए 1.5 दिन की छुट्टी का हकदार होगा जिसके लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।
4	विशेष परिस्थितियों में, परामर्शदाता को छुट्टियों में कार्य के लिए बुलाया जा सकता है या सामान्य कार्यालयी घंटों से अधिक समय के लिए रोका जा सकता है।
5	संविदात्मक नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष के लिए है जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।
6	परामर्शदाता को समेकित पारिश्रमिक का भुगतान टीडीएस आदि के अधीन पेंशन को घटाकर अंतिम लिए गए वेतन के फार्मूले के अनुसार किया जाएगा। माह में किए जाने वाले कार्य के पारिश्रमिक का भुगतान अगले माह में किया जाएगा। कार्यालयी दौरे करने पर टीए/डीए को छोड़कर अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा। टीए/डीए पात्रता वही होगी जिसके लिए वे सेवानिवृत्त होते समय पात्र थे।
7	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास परामर्शदाता की सेवाओं को जांच/समीक्षा करने का अधिकार होगा।
8	वह अपने दायित्वों को पूरे कौशल, परिश्रम, क्षमता व किफायत के साथ करेंगे।
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उन्हें कोई भी चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। पारिश्रमिक में चिकित्सा संबंधी लागत को कवर किया माना जाता है, यदि कोई हो।
10	मंत्रालय यात्रा सहित उन्हें कार्य करते समय या उसके अलावा होने वाली किसी भी हानि, दुर्घटना, नुकसान/क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
11	सेवाकाल के दौरान, वो किसी भी व्यावसायिक के कार्यकलाप के निजी व्यापार में शामिल नहीं होंगे जो सरकार से हित का टकराव पैदा करें।
12	वह सभी सरकारी जानकारी को गोपनीय रखेंगे और उपर्युक्त का उपयोग केवल कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य हेतु ही करेंगे।
13	सेवा को किसी भी पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस दिए जाने के द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (रोकड़-II अनुभाग) में परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु आवेदन प्रारूप

आवेदित पद:

नाम:

पिता का नाम:

जन्म तिथि:

आधार सं:



सेवानिवृत्त की तारीख:

अंतिम कार्यालय का नाम:

अंतिम पदनाम:

अंतिम आहरित वेतन (मूल वेतन)

पे लेवेल / ग्रेड पे

पेंशन (मूल)

दूरभाष सं:

मोबाइल नंबर:

ई मेल आईडी:

मेलिंग पता:

स्थायी पता:

शैक्षिक अर्हता:

कार्य अनुभव (अलग से पेपर लगाएं , यदि आवश्यकता हो)

संगठन/संस्थान	अवधि		कार्य की प्रकृति	टिप्पणियां
	कब से	कब तक		

मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी आवेदन की तारीख तक सच और सही है। मैं समझता हूँ कि जानकारी छिपाने / गलत सूचना देने का परिणाम नियुक्ति से इंकार / रोजगार की समाप्त या नागरिक दंड हो सकता है।

स्थान:

(हस्ताक्षर)